UPSH010036032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1227/2026

अली रजा उम्र करीब 18 पुत्र रईस हसन खान, निवासी मो० अन्टा, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मुकदमा अपराध संख्या–140/2026,
धारा–191(1), 115(2), 140(1) बी०एन०एस०,
थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहॉपुर।

12–06–2026

अभियुक्त/आवेदक अली रज़ा द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नरेश चन्द्र मौर्या द्वारा थाना सदर बाजार पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी का बेटा वैभव मौर्या कक्षा 12 वीं में सेन्टपाल इण्टर कालेज कैंट में पढ़ता है। दिनांक 08–04–2026 दिन बुद्धवार को छुट्टी के समय लगभग 2 बजे कालेज के गेट के पास कुछ लड़के प्रार्थी के बेटे को जबरदस्ती पकड़कर स्कूटी से पीपल घाट की ओर ले गये तथा प्रार्थी के बेटे को पकड़कर बहुत ज्यादा मारा व बेल्ट से पीटा तथा उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। इन लड़को ने मेरे बेटे के साथ बहुत मारपीट की है। इनके साथ 5 लड़के और थे जिनका वादी को नाम पता नहीं मालूम है। वादी के बेटे की जान माल की हिफाजत की जाये और कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह पूर्णत: निर्दोष है। रंजिशन झूँठा फँसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 दिन विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण वादी द्वारा न देना कथित घटना को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। प्रार्थी अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही गवाहन सबूत को तोड़ेगा। प्रार्थी का उपरोक्त कथित घटना से कोई वास्ता या सरोकार नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी विश्वसीय साक्ष्य नहीं है। अत: दौरान मुकदमा उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र का जबरदस्ती अपहरण कर उसे पीपल घाट की ओर ले गये तथा उसके बेटे को पकड़कर बेल्ट से मारा पीटा तथा उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। अत: अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

Date: 12-06-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. UP-1890)

Digitally signed by Vishnu Kumar Sharma
Date: 2026.06.15 09:52:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र का जबरदस्ती अपहरण कर उसे पीपल घाट की ओर ले जाने तथा उसके बेटे को पकड़कर बेल्ट से मारने पीटने एवं उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग सात दिन विलम्ब से पंजीकृत कराया जाना अभियोजन प्रपत्रों से स्पष्ट है। चुटहैल वैभव मौर्या की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में तीनों चोटें साधारण प्रकृति की आना दर्शाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नही दर्शाया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एंव परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अली रज़ा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–1227/2026, मुकदमा अपराध संख्या–140/2026, धारा–191(1), 115(2), 140(1) बी०एन०एस०,थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहॉपुर सशर्त स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि इस मामले में यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक समझा जाये, तब आवेदक को अंकन **40,000/– रूपये** का स्वबंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभूपत्र दाखिल किये जाने पर, निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जायेः–

1– आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत दिनांक पर उपस्थित रहेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अपराध से सम्बन्धित तथ्यो से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नही देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांकः 12–06–2026

(विष्णु कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code No. UP-1890)

Date: 12-06-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. UP-1890)